कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–द्वितीय
मध्यप्रदेश, ग्वालियर

क्रमांक / पेंशन / डी.आर.एस.एस.ए. / उ.प्र.–01 / 2025–26 **दिनांकः–**

प्रति,

सभी जिला कोषालय अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषयः– **राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों एवं अखिल भारतीय सेवाओं के पेशनरों / पारिवारिक पेंशनरों आदि को मंहगाई राहत की स्वीकृति के संबध मे।**

संदर्भः–
1. कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–द्वितीय उत्तरप्रदेश, प्रयागराज से प्राप्त पत्रांक पेंशन विविध / 5821 दिनांक 13.05.2025.
2. उ.प्र.शासन वित (सामान्य) अनुभाग–03 का पत्र संख्या 12 / 2025 / सा–3–154 / दस–2025 / 301 / 2000टी.सी. दिनांक 24.04.2025.

उपरोक्त विषय में लेख है कि कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–द्वितीय उत्तरप्रदेश, प्रयागराज से प्राप्त शासनादेशों की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर भुगतान करने की व्यवस्था करें। उपरोक्त संदर्भित आदेशों की प्रति कार्यालय महालेखाकार मध्यप्रदेश की वेबसाइट **www.agmp.nic.in** पर भी उपलब्ध है।

Sanjay

प्रभारी वरिष्ठ लेखा अधिकारी / पेंशन

क्रमांक / पेंशन / डी.आर.एस.एस.ए. / उ.प्र.–01 / 2025–26 /749 **दिनांकः–** 12-6-25

प्रतिलिपिः–

वरिष्ठ लेखा अधिकारी / पेंशन विविध, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–द्वितीय उत्तरप्रदेश, प्रयागराज से प्राप्त पत्रांक पेंशन विविध / 5821 दिनांक 13.05.2025 के संबंध में सूचनार्थ।

प्रभारी वरिष्ठ लेखा अधिकारी / पेंशन

105169 R-1923 R-299 858438

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय उ०प्र०, प्रयागराज
Indian Audit & Accounts Department
Office of the Accountant General (A&E)-II Uttar Pradesh, Prayagraj

Special Seal Authority

पत्रांक- पेंशन विविध/5821 दिनांक 13.05.2025

सेवा में,

Sr. Accounts Officer/Pension,
PAG(A&E)-I Madhya Pradesh,
Lekha Bhawan,Jhansi Road
Gwalior- 474002

विषय :- राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों एवं अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरो / पारिवारिक पेंशनरो आदि को मंहगाई राहत की स्वीकृति के संबंध मे ।

शासनादेश: - (1)-12/2025/सा-3-154/दस-2025/301/2000टी०सी० लखनऊ, दिनांक–24/04/2025
(2)-13/2025/आई/943890/2025/फ0न0-10-22099/409/2020 लखनऊ, दिनांक– 24/04/2025

महोदय,

उत्तर प्रदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 विभाग द्वारा जारी उपरोक्त आदेश की प्रति विशेष मुद्रांकन सहित संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय

वरि0 लेखाधिकारी / पेंशन विविध

Sh. Madhav 21/5/25

DA-17 22.5.25

20 MAY 2025

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या-12/2025/सा-3-154/दस-2025/301/2000टी.सी.

लखनऊ : दिनांक 24 अप्रैल, 2025

कार्यालय-ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों को महँगाई राहत की स्वीकृति।

राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को महँगाई राहत के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-33/2024/सा-3-485/दस-2024/301/2000टी.सी. दिनांक 30.10.2024 द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2024 से महँगाई राहत की दर 50 प्रतिशत से बढ़ा कर 53 प्रतिशत की गयी थी।

2- अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के अधीन निर्गत शासनादेशों के प्रावधानों के अनुसार संशोधित/स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर श्री राज्यपाल द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2025 से महँगाई राहत की 02 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- पेंशनरों को अनुमन्य महँगाई राहत में उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महँगाई राहत की दर 53 प्रतिशत से बढ़कर दिनांक 01 जनवरी, 2025 से 55 प्रतिशत हो जायेगी।

4- महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।

5- यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश पृथक से निर्गत किये जा रहे हैं।

6- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस-10(3)-81, दिनॉक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अत: पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महँगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

8- महँगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध जो इससे संबंधित पूर्व के शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विजय कुमार सिंह
विशेष सचिव, वित्त।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) उत्तर प्रदेश शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारीगण।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 व 2 एवं ऑडिट-1 व 2, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(3) महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(4) समस्त राज्यों के महालेखाकार।

आज्ञा से,

राहुल कुमार
अनु सचिव, वित्त।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Government of Uttar Pradesh
Finance (General) Section-3
No.12/2025/G-3-154 /10-2025/301/2000T.C.
Dated: Lucknow: 24 April, 2025

Office – Memorandum

Subject: Grant of dearness relief to State Government's civil/family pensioners.

Vide government order No.33/2024/G-3-485/10-2024/301/2000T.C. Dated 30 October, 2024 the dearness relief admissible to pensioners/ family pensioners of the state was increased from 50 percent to 53 percent w.e.f. July 01, 2024.

2- The undersigned is directed to say that the Governor is pleased to grant one more installment of dearness relief of 02 percent w.e.f. January 01, 2025 on the pension/family pension revised/ determined under the provisions of the government orders issued under the recommendations of Uttar Pradesh pay Committee 2016.

3- As a consequence of the above-mentioned 02 percent rise, the dearness relief payable on the pension/family pension will rise from existing 53 percent to 55 percent with effect from January 01, 2025.

4- In the calculation of dearness relief, fraction of a rupee less than its half shall be ignored while half or more shall be counted as one rupee.

5- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, employees of local bodies and public undertakings /corporations etc in respect of whom separate orders will be issued by respective departments. Orders in respect of All India Service pensioners/family pensioners are being issued.

6- These orders will also be applicable to the pensioners of the institutions aided from State Fund, under the Education/ Technical Education Departments, whose pension/family pension is at par with that of the pensioners of the State Government.

7- As per orders issued in O.M. No. A-1-252 /X-10(3)-81 dated April 27, 1982 the Accountant General's authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief shall be made by the concerned pension disbursing authorities on the basis of this office memorandum alone.

8- Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as before.

Vijai Kumar Singh
Special Secretary, Finance.

http://shasanadesh.up.gov.in

No. & date as above.

Endorsement to,

(1)-All Additional Chief Secretaries / Principal Secretaries / Secretaries to the Government of Uttar Pradesh, Heads of Departments / Offices, all Treasury Officers.

(2)-Accountant General (Account & Entitlement)1,2 & Audit-1,2, Uttar Pradesh, Prayagraj.

(3)-Office of Accountant General, Uttarakhand, Dehradun.

(4)-Accountants General of all states.

By order

Rahul Kumar
Under Secretary, Finance.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या-13/2025/आई/943890/2025/फा0नं0-10-22099/409/2020

लखनऊ: दिनांक: 24 अप्रैल, 2025

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्क्ष एवं कोषाधिकारियों को भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-42/02/2024-पी0एण्डपी0डब्लू0(डी0) दिनांक 11 अप्रैल, 2025 की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को उक्त आदेशानुसार महंगाई राहत का भुगतान किया जायेगा।

संलग्नक:यथोक्त ।

विजय कुमार सिंह

विशेष सचिव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहारादून।
5- निदेशक, पेंशन, उत्तराखण्ड, देहारादून।
6- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहारादून।
7- समस्त राज्यों के प्रमुख सचिव, वित्त।

आज्ञा से,

राहुल कुमार

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

No. 42/02/2024-P&PW(D)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003
Date :- 11th April, 2025

OFFICE MEMORANDUM

Sub: - **Grant of additional installment of Dearness Relief (DR) to Central Govt. Pensioners/Family Pensioners- revised rate effective from 01.01.2025-reg.**

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 42/02/2024-P&PW(D) dated 30.10.2024 on the subject mentioned above and to state that the President is pleased to decide that the Dearness Relief admissible to Central Government Pensioners/Family Pensioners shall be enhanced from the existing rate of **53% to 55%** of the basic pension/family pension (including additional pension/family pension) **w.e.f 01st January, 2025**.

2. These rates of DR will be applicable to the following categories:-

(i) Civilian Central Government Pensioners/Family Pensioners including Central Govt. absorbee pensioners in PSU/Autonomous Bodies in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 4/34/2002-P&PW(D)Vol.II dated 23.06.2017 for restoration of full pension after expiry of commutation period of 15 years.

(ii) The Armed Forces Pensioners/Family Pensioners and Civilian Pensioners/Family Pensioners paid out of the Defence Service Estimates.

(iii) All India Service Pensioners/Family Pensioners.

(iv) Railway Pensioners/Family Pensioners.

(v) Pensioners who are in receipt of provisional pension

(vi) The Burma Civilian Pensioners/Family Pensioners and Pensioners/families of displaced Government Pensioners from Burma/ Pakistan, in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 23/3/2008-P&PW(B) dated 11.09.2017.

3. The payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

4. Other provisions governing grant of DR in respect of employed family pensioners and re-employed Central Government Pensioners will be regulated in accordance with the provisions contained in Rule 52 of CCS (Pension) Rules, 2021 and this Department's OM No. 45/73/97-P&PW (G) dated 02.07.1999 as amended from time to time. The provisions relating to regulation of DR where a pensioner is in receipt of more than one pension will remain unchanged.

5. In the case of retired Judges of the Supreme Court and High Courts, necessary orders will be issued by the Department of Justice separately.

6. It will be the responsibility of the pension disbursing authorities, including the nationalized banks, etc. to calculate the quantum of DR payable in each individual case.

7. The offices of Accountant General and authorised Pension Disbursing Banks are requested to arrange payment of Dearness Relief to Pensioners/Family Pensioners on the basis of these instructions without waiting for any further instructions from the Comptroller and Auditor General of India and the Reserve Bank of India in view of letter No. 528- TA, II/34-80-II dated 23/04/1981 of the Comptroller and Auditor General of India addressed to all Accountant Generals and Reserve Bank of India Circular No. GANB No. 2958/GA-64 (ii) (CGL)/81 dated the 21st May, 1981 addressed to State Bank of India and its subsidiaries and all Nationalised Banks.

8. In so far as the persons serving in Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation

with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

9. This issues in accordance with the Ministry of Finance, Department of Expenditure's OM No. 1/1(1)/2025-E.II(B) dated 02.04.2025.

Hindi version will follow.

(Divya A.B.)
Director to the Government of India

1. All Ministries/Departments of the Government of India
2. Chief Secretaries and AGs of all States/UTs.
3. CMDs/CPPCs of all authorised Pension Disbursing Banks
4. C&AG of India, UPSC, etc. as per standard endorsement list.
5. Reserve Bank of India (RBI) for Information.